

प्रेसनोट दिनांक 13.01.2021

1. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ज्ञानेन्द्र मिश्र पुत्र गिरिवर प्रताप नि0 सरियावा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 15/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक नि0 रानीबाजार थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 16/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि साहिल पुत्र. शकील नि0 लाल कुर्ती थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1250 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 17/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बृजेश यादव पुत्र राम कैलाश नि0 साखीपुर थाना नबाबगंज गोण्डा गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 18/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवीन्द्र मोहन यादव पुत्र राम बरन यादव नि0 कनीगंज थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 14/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयशंकर पाण्डेय पुत्र राम अछैबर पाण्डेय नि0 ब्लाक नं0 3 कमरा नं0 39 कांशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 700 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 15/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू मांझी पुत्र राम भवन मांझी नि0 चट्टिया रामपुर हलवारा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 17/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 12.01.21 को वादी हे0का मनोज कुमार यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 शकीश पुत्र मो0 मतलूम नि0 सुच्चितागंज थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 18/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 12.01.21 को वादी हे0का मनोज कुमार यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 शकील पुत्र मो0 कल्लू उर्फ हलीम नि0 सुच्चितागंज थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 19/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 12.01.21 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रहमान पुत्र इदरीश नि0 लखौरी थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 20/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 12.01.21 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवानन्द निषाद पुत्र राम दास नि० बारा थाना तारुन अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 14/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 12.01.21 को वादी श्री रामजग पुत्र रघुवीर नि० रखौना थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सभाजीत पुत्र राम चेत नि० रखौना थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 15/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 12.01.21 को वादी उ०नि० श्री अमर कुमार चौरसिया थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र आशाराम नि० करनाईपुर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 17/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 12.01.21 को वादी उ०नि० श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उदयभान वर्मा उर्फ पिल्लू पुत्र राम नरायन वर्मा नि० ददरा पारा गरीब शाह थाना तारुन अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा पिकप संख्या यूपी 50 एटी 1393 पर कूरता पूर्वक 02 राशि बैल को लाद कर वध हेतु ले जाते समय पकड़े जाना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 16/21 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु कूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 12.01.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुन्दन उर्फ निजामुद्दीन पुत्र शफीक नि० किसनी थाना शुकुल बाजार अमेठी गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1350 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 16/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।